



## सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 03.10.2026

- थाना रसूलाबाद पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए गैर-इरादतन हत्या की घटना कारित करने वाले वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 21.07.2026 को वादी श्री संदीप पुत्र जयकरन सिंह निवासी ग्राम रिवरी कोतवाली रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर बावत दिनांक 20.07.2026 को वादी व वादी के माता-पिता के साथ अभियुक्तगण द्वारा लाठी-डंडों से मारपीट करना, गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए वादी के पिता जयकरन सिंह पुत्र स्व० छोटेलाल निवासी ग्राम रिवरी इटैली थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात को मरणासन्न स्थिति में छोड़कर चले जाने के सम्बन्ध में दी गयी। जिसके आधार पर थाना रसूलाबाद पर मु०अ०सं० 0262/2026 धारा 115(2)/ 351(3)/352 /191(2) बीएनएस बनाम 1. अरविंद कुमार पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम रिवरी थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात आदि 06 अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। मजरूब जयकरन सिंह पुत्र स्व० छोटेलाल उपरोक्त की मारपीट से आयी चोटों के कारण दिनांक 19.09.2026 को दौराने इलाज मृत्यु हो गयी, जिसके आधार पर व अन्य साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त में धारा 105/118(1)/117(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। थाना रसूलाबाद पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 02.10.2026 को समय करीब 17.15 बजे मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अरविन्द पुत्र रामसिंह उपरोक्त को उसके घर से 100 मीटर पहले ग्राम रिवरी इटैली थाना क्षेत्रांतर्गत रसूलाबाद से गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

### गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

1. अरविन्द पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम रिवरी इटैली, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात उम्र 38 वर्ष।

### अभियुक्त अरविन्द उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 0262/2026 धारा 105/115(2)/191(2) /118(1)/117(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात।

### गिरफ्तार करने वाली थाना रसूलाबाद पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री राजेश प्रताप सिंह,
2. का० 632 विवेक कुमार,
3. का० 775 नेत्रपाल।